



56/25

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-3, अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी मुत० अपील संख्या- 50/11/25

सी.आई.एस नंबर 56/25

1. श्रीमती मधुबाला शर्मा पत्नि श्री कृपा शंकर मिश्रा निवासी मकान नंबर 6/26 एनईबी हाउसिंग बोर्ड शहर व जिला अलवर

..अपीलांट प्रतिवादिनी

बनाम

1. श्रीमती कौशल्या बाई पत्नि श्रीचंद सिंधी निवासी मकान नंबर 6/68 एनईबी हाउसिंग बोर्ड शहर व जिला अलवर राज 0

..रेस्पोंडेंट वादिनी

2. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि देवकीनंदन गुप्ता निवासी मकान नंबर 6/51 एनईबी हाउसिंग बोर्ड शहर व जिला अलवर राज 0

3. राज 0 आवासन मण्डल जरिये उप आवासन आयुक्त, राज 0 आवासन मण्डल मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड शहर व जिला अलवर

..तरतीबी प्रतिवादीगण

‘दीवानी विविध अपील विरुद्ध आक्षेपित आदेश दिनांकित 24.04.2025 जो कि विनीत कुमार आर 0 जे 0 एस 0 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, अलवर द्वारा श्रीमती कौशल्या बनाम श्रीमती शकुन्तला दीवानी मुत्तफरिफ संख्या 46/17/24 में पारित किया गया’

उपस्थिति:-

श्री चंद्रमोहन शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।

श्री मनीष शर्मा , अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से ।

श्री पंकज शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 3 की ओर से ।



56/25

निर्णय

दिनांक:-29.05.2026

1. यह हस्तगत अपील **अपीलार्थी** द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, अलवर द्वारा श्रीमती कौशल्या बनाम श्रीमती शकुंतला देवी दीवानी मुत्तफरिफ संख्या 46/17/24 में पारित आदेश दिनांकित 24.04.2025 के विरुद्ध माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो कालांतर में अंतरित होकर विधिवत् सुनवाई व निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई ।

2. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया कौशल्या बाई ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी का दिनांक 30.10.2021 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया की खरीदशुदा एक जायदाद प्लॉट संख्या 6/68 एनईबी हाउसिंग बोर्ड अलवर तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जिसकी पैमाईश निम्न प्रकार है-

तरफ पूर्व -पश्चिम को 11.25 मीटर तथा

तरफ उत्तर दक्षिण 6.15 मीटर है जिसका कुल रकबा 69.187 वर्गमीटर है तथा जिसे वादपत्र के साथ नजरी नक्शे में रंग पीला व सुर्ख से दर्शित किया गया है तथा प्रार्थी के प्लॉट के तरफ पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 1 का प्लॉट संख्या 6/51 वाके एनईबी हाउसिंग बोर्ड अलवर स्थित है। जिसको वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में रंग हरे से दर्शाया गया है।

3. प्रार्थीया ने उसका प्लॉट संख्या 6/68 मूल आवंटी अशोक कुमार से दिनांक 03.09.98 को क्रय किया था और उसी समय से उसका उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है । परन्तु अप्रार्थी के द्वारा 6/51 के जब मकान का निर्माण किया गया तो उसने उसके पूर्व पश्चिम की ओर 0.22 मीटर व उत्तर दक्षिण की ओर 6.15 मीटर कुल 1.35 वर्गमीटर की भूमि जिसे नजरी नक्शे में सुर्ख रंग ए,बी,सी,डी से दर्शाया हुआ है उस पर जबरन कब्जा करते हुए मकानात का निर्माण कर लिया ।

4. प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि को क्रय किया गया था। उस समय उक्त निर्माण कार्य नहीं हो रखा था, परन्तु जब अप्रार्थी ने अपने मकान बनवाये तो उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर लिया और इस संबंध में उसे जानकारी नहीं हो पायी । तथा प्रार्थीया ने आवासन मंडल को तहरीर आदि जारी करवाकर उसका रजिस्ट्रेशन भी दिनांक 20.03.06 को प्राप्त कर लिया और आवासन मंडल द्वारा भी उसे 69.187 वर्गगज भूमि का ही नियमतीकरण व अदेय प्रमाण पत्र जारी किया गया । जबकि वर्तमान में प्रार्थी की भूमि



56/25

67.83 वर्गमीटर ही रह गयी है और अप्रार्थी ने उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करके निर्माण किया हुआ है। प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थी को उक्त कब्जे को हटाने के बाबत अनेक बार कथन किये गये, परन्तु अप्रार्थी द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया।

5. अतः प्रार्थीया ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि पर दो हजार रुपये अंतकालीन लाभ मासिक प्राप्त करने के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न अनुतोष चाहा -प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 ताफैसला मूल वाद विवादित प्लॉट रंग सुर्ख मार्क ए,बी,सी,डी जो कि प्लॉट संख्या 6/68 वाके एनईबी हाउसिंग बोर्ड अलवर का भाग है, में किसी प्रकार की तोडफोड, नवनिर्माण या रददोबदल नहीं करे व विवादित संपत्ति को अपने प्लॉट संख्या 6/51 वाके एनईबी अलवर में शामिल करते हुए दीगर शख्सों को रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुंतकिल नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 2 उक्त प्लॉट के बाबत मौके व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे तथा उक्त प्लॉट के बाबत कोई लीज पट्टा जारी ना करे तथा प्लॉट के नियमतिकरण व नाम परिवर्तन इत्यादि के संबंध में कोई कार्यवाही ना करे।

6. दिनांक 18.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा व दिनांक 03.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 3 मधुबाला द्वारा उनका जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण ने यह तथ्य अंकित किये कि प्रार्थीया ने गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 शकुन्तला के द्वारा उक्त भूमि हाउसिंग बोर्ड से क्रय की गयी थी और अप्रार्थीया के द्वारा जानबूझकर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया बल्कि प्रार्थी को इस संबंध में पूर्व में ही जानकारी थी। उस समय उसके द्वारा कोई कार्यवाही अप्रार्थी के विरुद्ध नहीं की गयी और सन् 2019 में यदि उसे अतिक्रमण की जानकारी हो गयी थी तो उसने उसके दो वर्ष बाद न्यायालय में किस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

7. अप्रार्थी संख्या 1 शकुन्तला के द्वारा उसका मकान संख्या 6/51 वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 3 मधुबाला को दिनांक 22.07.2021 को जरिये इकरार बेचान कर दिया और बेचान के संबंध में रकम प्राप्त करके कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 3 मधुबाला को सौंप दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थीया को होने के बावजूद उसने मधुबाला को पक्षकार नहीं बनाया और गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। और



56/25

स्वयं प्रार्थीया ने ही आवासन मंडल में उसी 1.35 वर्गमीटर भूमि को छोड़ दिया था और अप्रार्थी संख्या 3 उक्त भूमि पर वर्तमान में काबिज है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया और यदि उक्त भूमि प्रार्थीया के स्वामित्व व अधिपत्य की है तो अप्रार्थी संख्या 3 उसके नये मकान के निर्माण के समय उक्त भूमि को छोड़ने के लिए भी तैयार है और उन्हें तंग करने के लिए प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे खारिज किया जाए ।

8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर आलौच्य आदेश दिनांकित 24.04.2025 द्वारा आदेश दिया गया कि "प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 विरुद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह प्लॉट संख्या 6/51, को मय विवादित भाग [नजरी नक्शा में रंग सुर्ख एबीसीडी से दर्शित] के अन्यत्र किसी भी दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे और अप्रार्थी संख्या 2 को भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह उक्त भूखण्ड से संबंधित स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड को यथावत बनाये रखे।" जिससे व्यथित होकर **अपीलार्थी/अप्रार्थीया मधुबाला** की ओर से हस्तगत अपील पेश की गयी है।

9. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि इस न्यायालय को इस अपील को निस्तारित करने हेतु निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार करना है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला,
2. सुविधा का संतुलन और
3. अपूरणीय क्षति ।

प्रथम दृष्टया मामला:

10. इस संबंध में **अपीलार्थी/अप्रार्थीया मधुबाला** अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि अप्रार्थीया मधुबाला ने अप्रार्थी संख्या 1 शकुन्तला से जरिये इकरारनामा संपत्ति को क्रय किया और संपूर्ण रकम का भुगतान करके कब्जा प्राप्त कर लिया है। और प्रार्थीया उक्त मकान को क्रय करना चाहती थी, शकुन्तला के द्वारा उक्त मकान प्रार्थीया को बेचान नहीं किया गया इसलिए उसने अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि उसे पूर्व से ही अतिक्रमण के बाबत



56/25

जानकारी थी और उसने स्वयं ने उक्त भूमि का स्वेच्छया से त्याग कर दिया । जिसका शपथ पत्र भी उसने आवासन मंडल में दिया था और प्रार्थीया अपने शपथ पत्र व अपने कथनों से विबंध के आधार पर पाबंद है और वह उक्त भूमि की मांग नहीं कर सकती । अप्रार्थी संख्या 3 वर्तमान में यदि अपने मकान का नवनिर्माण करती है तो वह उक्त भूमि को छोड़कर निर्माण करेगी इस आशय का शपथ पत्र भी अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा दिया गया है। और विचारण न्यायालय ने संपूर्ण भूमि पर जो स्थगन आदेश पारित किया है वह पूर्ण रूप से गलत है। अतः विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाए ।

11. जबकि इसके विपरीत विपक्षी/प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि शकुन्तला ने उसका मकान निर्माण करते समय उसकी 1.35 वर्गगज भूमि पर अतिक्रमण कर लिया और उसकी जानकारी उसे सन् 2019 में हुयी । इस संबंध में उसने आवासन मंडल को भी सूचित किया और वह तब ही से उक्त भूमि पर अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही कर रही है। और वर्तमान में अप्रार्थीया के द्वारा गलत तरीके से उसके स्वामित्व से अधिक भूमि का बेचान कर दिया है । तथा प्रार्थीया के द्वारा आवासन मंडल में कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है अतः विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह पूर्ण रूप से उचित है।

12. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि पत्रावली पर प्रार्थीया के द्वारा अशोक कुमार से जो संपत्ति क्रय की गयी थी उसका बेचान इकरारनामा दिनांक 03.09.1998 का प्रस्तुत किया गया । जिसके अनुसार प्रार्थीया कौशल्या ने अशोक कुमार से प्लॉट नंबर 6/68 क्रय किया था और जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 20.03.06 को आवासन मंडल के द्वारा प्रार्थीया कौशल्या के पक्ष में जारी की गयी और उक्त नियमितीकरण व प्रमाण पत्र रकबा 69.187 का ही जारी किया गया ।

13. इस संबंध में अप्रार्थी के द्वारा दौराने बहस एक शपथ पत्र भी इस आशय का पत्रावली पर उपलब्ध करवाया है जिसमें प्रार्थीया कौशल्या द्वारा आवासन मण्डल को जो **भूमि 1.35 वर्गमीटर** अतिक्रमण की हुयी है उक्त भूमि को वह क्लेम नहीं करेगी और उसके विरुद्ध कोई शिकायत व वाद नहीं करेगी । तो इस संबंध में प्रार्थीया अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उसके द्वारा कोई शपथ पत्र आवासन मंडल में इस प्रकार का नहीं दिया गया । यह तो मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जा सकता है कि उक्त शपथ पत्र कौशल्या ने आवासन मंडल में दिया या नहीं ।



56/25

14. इस संबंध में प्रार्थीया के द्वारा आवासन मंडल में सन् 2019 से पत्र व्यवहार भी किया जा रहा है कि अप्रार्थी संख्या 1 शकुन्तला के द्वारा उसके 1.35 वर्गमीटर पर अतिक्रमण किया हुआ है, परन्तु उक्त नोटिस आवासन मंडल को दिये जाने के बावजूद प्रार्थीया कौशल्या के द्वारा कभी भी अप्रार्थी शकुन्तला को इस संबंध में कोई नोटिस प्रेषित किया हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीया कौशल्या द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

15. पत्रावली पर अप्रार्थी के द्वारा बेचान इकरारनामा दिनांक 22.07.2021 का प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 शकुन्तला ने अप्रार्थी संख्या 3 मधुबाला को जरिये इकरार उसके मकान नंबर 6/51 का बेचान इकरार किया गया है जो उसने पैंतीस लाख रुपये प्राप्त करके कब्जा मधुबाला को दे दिया है इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में व्यथित पक्षकार मधुबाला है।

16. इस संबंध में विचारण न्यायालय के निर्णय तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य आदि का अवलोकन करें तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के मध्य केवल मात्र 1.35 वर्गमीटर भूमि विवादित है। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा जो स्थगन आदेश पारित किया गया है वह संपूर्ण 6/51 वर्गगज की भूमि का पारित किया गया है जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में जो विवाद है वह 6/68 व 6/51 के मध्य भाग 0.22x6.15 वर्गमीटर भूमि का है। और उक्त भूमि के संबंध में संपूर्ण 6/51 की भूमि पर स्थगन आदेश नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि संपूर्ण 6/51 की भूमि पर स्थगन जारी कर दिया जाता है तो अप्रार्थीया शकुन्तला उक्त भूमि की रजिस्ट्री नहीं करवा सकती है। जबकि आवासन मंडल के द्वारा दोनों पक्षकारों को उनके द्वारा आवंटित भूमि का ही प्रमाण पत्र जारी किया गया है और दोनों ही पक्षकार उनके पास जो भूमि आवासन मंडल द्वारा आवंटित की गयी है उसी का बेचान कर सकते हैं उससे अधिक का बेचान शकुन्तला द्वारा भी मधुबाला को नहीं किया जा सकता। अतः केवल विवादित भूमि 1.35 की हद तक तो स्थगन आदेश जारी किया जा सकता है, परन्तु संपूर्ण 6/51 भूमि पर स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि संपूर्ण भूमि विवादित नहीं है।

17. अप्रार्थी संख्या 3 मधुबाला के द्वारा इस न्यायालय में इस भूमि का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि वह अपने मकान का निर्माण करते समय प्रार्थीया के 1.35 वर्गमीटर भूमि को छोड़ने के लिए भी तैयार है और उक्त तथ्य उचित भी है क्योंकि उक्त जमीन पर अप्रार्थीया का कोई



56/25

हक व अधिकार भी नहीं है। इसलिए केवल अप्रार्थीया को विवादित भूमि 1.35 वर्गमीटर की हद तक तो पाबंद किया जा सकता है कि वह अपने मकान के निर्माण आदि करते समय उक्त भूमि पर कोई नवनिर्माण ना करे परन्तु संपूर्ण 6/51 भूमि तक स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता।

18. विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में जो विवेचन किया है वह पूर्ण रूप से उचित नहीं है और प्रार्थीया कौशल्या का प्रथम दृष्टया मामला केवल मात्र विवादित भूमि $0.22 \times 6.15 = 1.35$ वर्गमीटर की हद तक बनना पाया जाता है ना कि संपूर्ण 6/51 की भूमि पर। अतः इस हद तक विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति

19. उक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में अपीलार्थी/अप्रार्थीया अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि यदि अप्रार्थी को उसकी खरीदशुदा भूमि पर रजिस्ट्री आदि नहीं करने दी जाएगी और उसको निर्माण आदि करने नहीं दिया जाएगा तो उसके द्वारा जो रकम का भुगतान किया गया है वह व्यर्थ हो जाएगा और उसे अत्यधिक क्षति भी होगी। और चूंकि विवाद केवल 1.35 वर्गमीटर भूमि का है और उसे भी वह छोड़ने के लिए तैयार है तो उक्त दोनों बिन्दु भी अपीलार्थी/अप्रार्थीया के पक्ष में बनना पाये जाते हैं।

20. इस संबंध में प्रार्थीया अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि अप्रार्थी ने उसकी भूमि पर अतिक्रमण किया और यदि वह उस पर निर्माण कार्य करती तो प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति होगी और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है।

21. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि यदि न्यायालय के द्वारा 6/51 की संपूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा होगी क्योंकि संपूर्ण 6/51 की भूमि का विवाद नहीं है, बल्कि केवल प्रार्थीया के द्वारा जो 1.35 वर्गमीटर भूमि बतायी गयी है वही विवादित है। इसलिए उक्त भूमि के अलावा जो स्थगन आदेश जारी किया है इससे अपीलार्थीगण को अधिक असुविधा व क्षति होगी। जबकि प्रार्थीया को इससे कोई लाभ नहीं होगा।

अतः इस संबंध में विचारण न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह पूर्ण रूप से उचित नहीं है और इस बाबत भी उनका आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।



22. ऐसी दशा में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांकित 24.04.2025 विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

23. अतः अपीलार्थी/अप्रार्थीया श्रीमती मधुबाला की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, अलवर द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 24.04.2025 को अपास्त किया जाता है।

तथा अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वह 6/51 की जो मूल भूमि आवासन मंडल द्वारा उनके पक्ष में रजिस्ट्री करवायी गयी है उसी का बेचान करें और उसी की रजिस्ट्री कराए तथा अपीलार्थी/ अप्रार्थी संख्या 3 मधुबाला विवादित भूमि 0.22x6.15 =1.35 वर्गमीटर जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में सुर्ख रंग से दर्शाया है उस पर कोई निर्माण नवनिर्माण ना करें और शेष 6/51 पर वह रजिस्ट्री व निर्माण आदि करने के लिए स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावे।

(ज्योति के.सोनी)

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या -3, अलवर

24. निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति के.सोनी)

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या -3, अलवर